

कार्यालय जिला कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा

दिनांक 30 मई, 2020

क्रमांक: न्याय/कोरोना/2020/ 23135


:: आदेश ::

भीलवाड़ा जिले में विभिन्न उपखण्ड क्षेत्रों में नोवल कोरोना वायरस (COVID-19) से संक्रमित व्यक्ति चिन्हित होने से नागरिकों में संक्रमण फैलने की सम्भावनाओं के मध्यनजर कार्यालय के निम्न आदेश से दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत निम्नांकित क्षेत्रों की सीमा क्षेत्र में सख्त निषेधाज्ञा लागू कर उस क्षेत्र को Zero Mobility & Containment Area (लॉकिंग एरिया-जनसाधारण का सख्ती से आगमन-निर्गमन निषेध क्षेत्र) घोषित किया गया है।

जिले के निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्रों में निषेधाज्ञा अवधि के दौरान कोई कोरोना संक्रमित व्यक्ति चिन्हित नहीं होने एवं दिनांक 25 मई 2020 को उक्त क्षेत्र के संक्रमित व्यक्ति को जिला चिकित्सालय से पूर्ण स्वस्थ होने के उपरान्त मुक्त किये जाने से निम्न प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत जनसाधारण को संभावित किसी असुविधा के निवारण के प्रयोजन से मैं राजेन्द्र भट्ट, जिला मजिस्ट्रेट, भीलवाड़ा दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144 के तहत जिले के निम्न Zero Mobility & Containment क्षेत्रों में लागू सख्त निषेधाज्ञा को तत्काल प्रभाव से प्रत्याहरित करता हूँ :-

क्र.सं.	आदेश क्रमांक, दिनांक	नाम उपखण्ड	जीरो मोबिलिटी एरिया
1.	क्रमांक - 22952 दि0 - 16.05.2020	रायपुर	उपखण्ड क्षेत्र रायपुर की ग्राम पंचायत कोट के राजस्व ग्राम कोट की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
3.		करेड़ा	उपखण्ड क्षेत्र करेड़ा की ग्राम पंचायत निम्बाहेड़ा जाटान के राजस्व ग्राम मनोहरपुरा की सम्पूर्ण सीमा क्षेत्र में
4.	क्रमांक - 22953 दि0 - 16.05.2020	वनेड़ा	उपखण्ड क्षेत्र वनेड़ा की ग्राम पंचायत रायला के छीपों का मोहल्ला की सीमाक्षेत्र में
5.	क्रमांक - 22967 दि0 - 18.05.2020	माण्डल	उपखण्ड क्षेत्र माण्डल की ग्राम पंचायत धुवाला के राजस्व ग्राम रावों का खेड़ा की सम्पूर्ण सीमाक्षेत्र में

यह आदेश आज दिनांक 30 मई 2020 को सांय 5.00 बजे से मेरे हस्ताक्षर व कार्यालय की मुद्रा से जारी किया गया है।


(राजेन्द्र भट्ट)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाड़ा

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित है :-

01. मुख्य सचिव महोदय, राजस्थान, जयपुर
02. अति0 मुख्य सचिव, गृह विभाग, राजस्थान-जयपुर

03. संभागीय आयुक्त, अजमेर
04. महानिरीक्षक, पुलिस रेंज, अजमेर
05. समस्त जिला मजिस्ट्रेट, राजस्थान
06. जिला पुलिस अधीक्षक, भीलवाडा को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश संबंधित समस्त पुलिस अधिकारियों को पालना सुनिश्चित करने हेतु भेजा जायें।
07. अति० जिला मजिस्ट्रेट, (प्रशासन/शहर) भीलवाडा
08. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, भीलवाडा
09. उपखण्ड मजिस्ट्रेट, रायपुर, करेड़ा, बनेड़ा एवं माण्डल को भेजकर लेख है कि उक्त आदेश की अक्षरसः पालना सुनिश्चित करावें साथ ही स्थानीय स्तर पर सर्व संबंधित विभागों/संस्थाओं आदि से समन्वय स्थापित कर दैनिक आवश्यकताओं की वस्तुयें एवं सामग्री का उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में निवासरत परिवारों को मौकों पर ही उपलब्धता बाबत आवश्यक कार्यवाही सुनिश्चित करें।
10. समस्त उपखण्ड मजिस्ट्रेट/तहसीलदार, जिला भीलवाडा
11. मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, भीलवाडा को भेजकर लेख है कि उक्त प्रतिबन्धित क्षेत्र में समुचित प्रबन्धन किया जाना सुनिश्चित करें।
12. सहायक निदेशक, सूचना एवं जन सम्पर्क कार्यालय, भीलवाडा को व्यापक प्रचार प्रसार हेतु।
13. अति० निजी सचिव, जिला कलक्टर, भीलवाडा



(Handwritten Signature)
जिला मजिस्ट्रेट,
भीलवाडा